

# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 30/019

तारीख रजू 03.04.2019

1 लालदास पुत्र श्री रामकिशन जाति जाटन निवासी मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन

जिला करौली

:—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सूरौठ तहसील हिण्डौन

— रेस्पोजेण्ट

अपीला विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.02.2019 न्यायालय नायब

तहसीलदार सूरौठ तहसील हिण्डौन मु0 नं0 697/19 उनवानी

सरकार बनाम लालदास अंतर्गत धारा 91 एल आर एक्ट

07.08.2019 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाज दिलाने पर भी कोई भी उपस्थित नहीं हुए ना ही कोई आवेदन पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

अति० जिला कलक्टर  
करौली